फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**धापुबाई गुर्जर**

विपक्षी :–**राज्य**

किस्म मुकदमा :– 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पत्रावली संख्या :–**33/25 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :–**2025/145**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 23.02.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण द्वारा मौजा लदाना पटवार हल्का वासनीकला की आराजी नम्बर 167 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 159 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम किये जाने हेतु निवेदन किया है। वक्त मौका निरीक्षण जाहीर आया की उक्त आराजी नम्बर 167 रकबा 0.0486 हैक्टेयर में लगभग भूमि पर मकान बना होकर अकृषि उपयोग किया जा रहा है। उक्त आराजी नम्बर 167 पर किसी प्रकार की कोई कृषि नही हो रही है अर्थात कृषि यन्त्र ले जाने की आवश्यकता नही है। वर्तमान में प्रार्थी मुख्य रास्ता आराजी नम्बर 172 तक जाने के लिए बिलानाम आराजी नम्बर 159 का उपयोग कर रहा है। प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 167 रकबा 0.0486 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि का अकृषि उपयोग किया जाने से एवं रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि के लिए 0.0280 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु दी जानी अपेक्षित नही है। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रार्थीगण द्वारा मौजा लदाना पटवार हल्का वासनीकला की आराजी नम्बर 167 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 159 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम किये जाने हेतु निवेदन किया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि मौके पर कृषि भूमि नही होकर अकृषि के उपयोग में ली जा रही है। उक्त भूमि पर मौके पर मकान निर्मित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अनुसार केवल मात्र कृषि भूमि में ही अति आवश्यक होने पर पहुंच मार्ग दिया जा सकता है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार [illegible] भूमि मौके पर कृषि भूमि के रूप में उपयोग नही [illegible] भूमि पर आने जाने हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 172 से आने जाने का उपयोग कर रहा है। ऐसे में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Bhivi Punadia
Date: 2026.04.16 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को उक्त रास्ते की अति आवश्यकता भी नही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय का तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के अनुसार मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested